UPRN010031492026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1182/2026

अर्पित यादव उम्र 21 वर्ष पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी- ग्राम कौरू, थाना मंगलपुर, जनपद-कानपुर देहात।

--प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार। --अभियोजन पक्ष।

अ0सं0- 52/2026
धारा- 309(4),317(2),317(4) बी०एन०एस०
थाना- राजपुर, जनपद कानपुर देहात।

दिनांक-18.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अर्पित यादव की ओर से मुकदमा अपराध सं०-52/2026 अंतर्गत धारा-309(4),317(2),317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार द्वारा संबंधित थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात में इस आशय की लिखित तहरीर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 01.05.2026 को वह अपनी माताजी सुनीता देवी के साथ अपनी मोटर साइकिल से मामा के लड़के की शादी में सम्मिलित होने मिलन कुँवर गेस्ट हाउस शाहजहाँपुर सट्टी में गया था। उसी रात्रि शादी में सम्मिलित होने के पश्चात वह अपनी माता जी के साथ गेस्ट हाउस से अपने घर आ रहा था तभी रास्ते में भाल पुलिया के पास आरएस स्कूल के सामने करीब 01.30 बजे एक सफेद रंग की कार औरा नम्बर अज्ञात व्यक्ति ने तमंचा दिखाकर डराकर उसकी माताजी के पहने हुये जेवर जंजीर, कानों के ब्रजबाला छीन लिये तथा छीनकर भाग गये। इस घटना से उसकी माताजी की तबीयत खराब हो गयी थी जिस कारण से वह मुकदमा लिखाने नहीं आ पाया। तबीयत में सुधार होने पर वह रिपोर्ट लिखाने आया है। वादी द्वारा रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

3. उक्त तहरीर रिपोर्ट के आधार पर 4 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 52/2026, धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान बरामदगी/गिरफ्तारी प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

4. जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा कथित अपराध कतई कारित नही किया गया है, महज पुलिस से साजिश करके अभियुक्त को झूठा मुकदमें में फंसाया गया है। उपरोक्त मुकदमा दिनांक

05/05/2026 को समय 04:04 बजे धारा-309 (4) बी०एन०एस० के तहत अज्ञात में दर्ज करायी गयी थी जिसकी घटना दिनांक 01/05/2026 को समय 01:30 की बतायी जा रही है। उपरोक्त प्रथम सूचना के अनुसार घटना दिनांक 01/05/2026 की बतायी गयी है जबकि रिपोर्ट दिनांक 05/05/2026 को चार दिन बाद लिखायी गयी है। रिपोर्ट देर से लिखाने का कोई सही कारण वादी मुकदमा ने नही दिया है। अभियुक्त को उसके घर से दिनांक 05.05.2026 को पकड़कर थाना लाया गया और घर में रखे हुये रुपये क्रमशः 3500/- रु० एवं 6700/- रु० कुल रुपये 10,200/- रु० घर से उठा लिये गये और फर्जी बरामदगी दिखा कर उक्त मुकदमें में झूठा चालान कर दिया गया। उपरोक्त मुकदमा पहले धारा 309 (4) बी०एन०एस० के तहत दर्ज हुआ था परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त को घर से पकड़कर धारा 309(4), 317(2), 317(4) बी०एन०एस० के तहत फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठा चालान कर दिया गया। पुलिस द्वारा अपनी नाकामयाबी छुपाकर अभियुक्त पर झूठी रिकवरी दिखाकर झूठे मुकदमा कायम किये गये है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी जमानती प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही है। अभियुक्त का इस तरह का कोई आपराधिक इतिहास नही है। इन्हीं आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की मोटर साइकिल के आगे कार लगाकर रोक लिया और तमंचा दिखाकर उसकी माता के पहने हुये जेवर जंजीर, कानों के ब्रजबाला छीन लिये गये। प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण ने चुरायी हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह चोरी/लूटी हुयी है को अन्य सह अभियुक्त को बेच दिया गया तथा शेष लूट गयी सम्पत्ति उसके व सह अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद की गयी। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा अपराध की प्रकृति व प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए, यह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी नहीं है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त अर्पित यादव पर आरोप है कि दिनांक 01.05.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा की मोटर साइकिल को कार आगे लगाकर रोक लिया गया और तमंचा दिखाकर उसकी माता के पहने हुए जेवर जंजीर, कानों के ब्रजबाला छीन लिये। पुलिस द्वारा दिनांक 05.05.2026 को मुखबिर खास की सूचना एवं बताये हुए स्थान से प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण को पकड़ा गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त की जामा तलाशी में पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक कान की बाली पीली धातु व 3500/-रुपये तथा बांये जेब से 6700/- रुपये बरामद हुये, जो इस मामले से व एक अन्य मामला, जनपद इटावा से संबंधित है। पुलिस द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के कब्जे से इस मामले के लूट का सामान व दो अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस व तीन अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा लूट का कुछ सामान एक अन्य सह अभियुक्त को भी बेचा गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की कार को खुलवाकर चेक करने पर कार की पीछे की डिग्गी में एक बैग बरामद हुआ जिसको खोलकर देखा गया तो बैग के अंदर एक लाक कटर, एक सब्बल नुकीला व एक सब्बल धारदार बरामद हुए।

दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित नहीं है। संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस मामले के अतिरिक्त दो अन्य मामले मु०अ०सं० 53/2026 व 93/2026 भिन्न-भिन्न धाराओं एवं भिन्न-भिन्न जनपद में दर्ज हैं। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दौरान गिरफ्तारी स्वीकार किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित करने में प्रयुक्त औरा कार उसके जीजा की है, जिनसे वह कार किराये पर चलाने हेतु लाया था जिससे यह घटना व अन्य घटनाएं कारित की गयी है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने लूट जैसा गंभीर अपराध कारित किया है और प्रार्थी/अभियुक्त ने यह जानते हुये कि लूट/चोरी के सामान को खरीदना-बेचना अपराध है, लूट के आभूषणों को बेचा गया है। जिसे पुलिस द्वारा सह अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में उत्तर प्रदेश दस्यु प्रभावी अधिनियम 1983 प्रभावी है। धारा 10-B डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को तभी जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जब उसके विरूद्ध यह साक्ष्य हो कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जाये कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है।

8. अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की मामले में भूमिका को देखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. प्रार्थी/अभियुक्त अर्पित यादव द्वारा मुकदमा अपराध सं०-52/2026 अंतर्गत धारा-309(4),317(2),317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना राजपुर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर देहात।

दिनांक-18.06.2026